



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता - संख्या 1117 वर्ष 2026

नान उर्फ ओम प्रकाश और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह, लखनऊ और अन्य।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेंद्र सिंह एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार वर्मा को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. आवेदक द्वारा यह वर्तमान प्रार्थना पत्र थाना सफीपुर, जिला उन्नाव में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0459 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 191(3), 333, 352, 115(2), 110 भारतीय न्याय संहिता में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
3. उक्त प्रकरण दिनांक 14.10.2025 को आठ नामजद व्यक्तियों जिनमें आवेदक भी शामिल हैं के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण ने सूचनाकर्ता के घर पर हमला किया तथा सूचनाकर्ता और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी व लोहे की छड़ों से मारपीट की। यह आरोप है कि सह-अभियुक्त भुल्लन ने देशी तमंचे से फायर किया। घटना में सूचनाकर्ता पक्ष के तीन व्यक्तियों को चोटें आई हैं। किसी भी पीड़ित की एक्स-रे परीक्षण न कराए जाने के कारण कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं पाई गई है।
4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्राथमिकी पंजीकृत कराने से पूर्व सह-अभियुक्त दर्शन द्वारा एक प्राथमिकी संख्या 458 वर्ष 2025 पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सूचनाकर्ता पक्ष के लोगों ने आवेदक और उसके पक्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट की थी। दो व्यक्तियों के सिर में चोटें आई हैं। यद्यपि आवेदक पक्ष की ओर से आई चोटों में से भी कोई चोट गंभीर प्रकृति की नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा उन्होंने तर्क दिया कि विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई है और दिनांक 29.12.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

7. प्रकरण के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आई हैं और कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं है, दोनों पक्षों की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है तथा आवेदकों को गिरफ्तार किए बिना विवेचना समाप्त हो चुकी है, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, एवं मामले के गुण-दोष पर कोई भी ऐसी टिप्पणी किए बिना जो मामले के अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती हो, मेरी यह राय है कि उक्त तथ्य आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु पर्याप्त आधार बनाते हैं।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त अपराध प्रकरण में आवेदकगण-नान उर्फ ओम प्रकाश, अमलेश उर्फ अमरेश/इंद्रेश एवं ग्यारी की गिरफ्तारी/विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की स्थिति में उन्हें संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों तथा विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी अन्य शर्त के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) यह कि आवेदक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
- (ii) यह कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे;
- (iii) यह कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे;
- (iv) यह कि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) यह कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे/उन्हें नहीं डराएंगे-धमकाएंगे।

19 जून, 2026

प्रदीप/-

न्यायमूर्ति सौरभ विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।